



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 559434

लीज डीड (LEASE DEED)

स्टाम्प अंकन-1200/-रुपये।

यह लीज डीड (LEASE DEED) आज दिनांक 14 अक्टूबर सन् 2013ई० दिन सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल डवलपमेंट संस्था मोदीनगर द्वारा चेयरपर्सन डॉ० सुधा सिंह पत्नी श्री उदयवीर सिंह निवासी राज चौपला यू०आई०एम०टी०कैम्पस मोदीनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद फरीक अव्वल ।

एवं

यूनिवर्सिटी ऑफ कालेज मुरादनगर द्वारा चेयर पर्सन डॉ० सुधा सिंह पत्नी श्री उदयवीर सिंह निवासी राज चौपला यू०आई०एम०टी०कैम्पस मोदीनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद फरीक दायम कहा गया है के मध्य उपनिबंधक मोदीनगर मे रजिस्टर्ड हुआ ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 50573

2

विदित हो कि वाकै ग्राम युसुफपुर मनोटा परगना जलालाबाद तहसील भोदीनगर जिला गाजियाबाद मे खसरा नं० 126 रकबा 1716 वर्ग गज निम्न सीमा की मै फरीक अब्बल तन्हा मालिक काबिज स्वामी हूँ जो आज दिन तक समस्त प्रकार की देनदारी आड रहन बय हिवै महायदाबय बैंक लोन जमानत तकावी आदि आदि से पाक व साफ है कही दूसरी जगह ग्रस्त नही है कोई वैधानिक दोष या त्रुटि मुझ फरीक अब्बल के अधिकारो मे नही है मै फरीक अब्बल उक्त भूमि को यूनिक लॉ कालेज मुरादनगर को तीस वर्ष के लिए लीज पर दे रही हूँ । अतः मुझ फरीक अब्बल अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता से बिना दबाव व बहकाव किसी प्रकार के स्वस्थ मन बल बुद्धि व इन्द्रियो की दशा मे रकबा 1716 वर्ग गज को यूनिक लॉ कालेज मुरादनगर को तीस वर्ष के लिए किराये पर दे रही हूँ जिसके लिए हम दोनो फरीकेन के मध्य निम्न शर्ते तय पाई है जिनके दोनो फरीकेन व वारसान फरीकेन पाबन्द रहेंगे :

इका

इका

STATION STAMP





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 70554


4

5- यह कि फरीक दायम को अधिकार होगा कि वह उक्त आराजी मे लॉ कालेज चलाये एवं लॉ कालेज के लिए बिल्डिंग का निर्माण कराये तथा लॉ कालेज से संबंधित कोई भी कार्य करे।

6- यह कि हम फरीक अब्वल लीज डीड (LEASE DEED) मियाद तक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या वाद विवाद फरीक दायम के कब्जे मे नही करेगें, और न ही हमारे वारसान को होगा।

7- यह कि उक्त पट्टा विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 धारा 35 खण्ड क उपधारा -5 के अनुसार सालाना किराये के छः गुने से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है

भारतीय नैऋत्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 70554

4

- 5- यह कि फरीक दायम को अधिकार होगा कि वह उक्त आराजी मे लॉ कालेज चलाये एवं लॉ कालेज के लिए बिल्डिंग का निर्माण कराये तथा लॉ कालेज से संबंधित कोई भी कार्य करे।
- 6- यह कि हम फरीक अब्बल लीज डीड. (LEASE DEED) मियाद तक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या वाद विवाद फरीक दायम के कब्जे मे नही करेगे और न ही हमारे वारसान को होगा।
- 7- यह कि उक्त पटटा विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 धारा 35 खण्ड क उपधारा -5 के अनुसार सालाना किराये के छः गुने से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है






रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अन्वये
हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/चिन्नेता का नाम व पता 50 सुधा गरीब

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने/हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




चिन्नेता का नाम व पता

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने/हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



भारतीय नैऋत्याधिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 505542

5

अतः यह लीज डीड (LEASE DEED) मियादी तीस वर्ष कतई लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

गवाह :-

[Handwritten signature]

पुरुषोत्तम शर्मा श्री श्री काम प्रकाश शर्मा
B-9) मोदीस नदी मोदीनगर

गवाह :-

[Handwritten signature]
Brijesh Kumar Sharan
Beech Writer
Bhedi Nagar (C.A.S.)

[Handwritten signature]
Brijesh K. A.
Doc.
Bhedi Nagar



दिनांक 14-10-2013 ई 0 मसौदा ब्रजेश कुमार शर्मा नदीस नदीस मोदीनगर।